प्रेषक,

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0,लखनऊ।

सेवा में,

प्रमुख सचिव
मत्स्य विभाग
उ0प्र0,लखनऊ।

पत्रांक 379 /नि0शा0/ दिनांक 24/07/ 2013

विषयः केन्द्र पुरोनिधानित नदियों में मत्स्य अंगुलिका संचय (रिवर रैचिंग) के योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में:

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या 187 नि0शा0/16–19(6)/2013–14 द्वारा दिनांक 9 अप्रैल, 2013 द्वारा केन्द्र पुरोनिधानित मत्स्य अंगुलिका संचय (रिवर रैचिंग) (केन्द्रांश–75/ राज्यांश–25) की संचालित योजना हेतु प्राविधानित आय–व्ययक अनुमान रू0 2.00 लाख के सापेक्ष्य (केन्द्रांश 1.50 लाख/राज्यांश 0.50 लाख) शासनादेश संख्या 890/सत्रह–म–2013–11–1(5/2007 दिनांक 15 अप्रैल, 2013 द्वारा रू0 0.50 लाख की वित्तीय स्वीकृति निदेशक मत्स्य के पदनाम से निर्वतन पर निर्गत की गई है।

अग्रेतर अवगत कराना है कि भारत सरकार कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य विभाग, कृषि भवन नई दिल्ली के पत्र संख्या 31013/10/14–एफ0वाई0(3) दिनांक 20 जून, 2013 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा केन्द्रांश रू0 1.50 लाख (रूपया एक लाख पचास हजार) को अवमुक्त किया गया है, जिसमें 25 प्रतिशत राज्यांश रू0 0.50 लाख को सम्मिलित करते हुए कुल रू0 2.00 लाख (रूपया दो लाख) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जानी है।

इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश की सीमा में बहने वाली प्रमुख नदी सोन, पंचनदा, चम्बल, बेतवा एवं गंगा में वर्षा ऋतु के अवसान के पश्चात् 15 सितम्बर से 30 सितम्बर, तक निम्न विवरण के अनुसार चिन्हित स्थलों पर मत्स्य सम्पदा (भारतीय मेजर कार्प) के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु मत्स्य बीज का संचय किया जायेगा।

कमांक	जनपद का नाम	नदी का नाम	धनराशि (रूपयों में)	मत्स्य बीज संचय की मात्रा (लाख में)
1	2	3	4	5
1	सोनभद्र	सोन	40500/–	3.00
2	जालौन	यमुना(पंचनदा''' संगम स्थल)	40,500/–	3.00
3	ललितपुर	बेतवा	20250/–	1.50
4	हमीरपुर	बेतवा	20250	1.50
5	इटावा (सहसो)	चम्बल	40,500/–	3.00
6	कानपुर नगर (घाटमपुर)	गंगा	38,000/–	2.80
		योग	2,00,000/–	14.80

इस योजना का कियान्वयन मत्स्य पालक विकास अभिकरण सोनभद्र, जालौन, ललितपुर, इटावा एवं कानपुर नगर के माध्यम से किया जायेगा। इन अभिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे मत्स्य अंगुलिकाओ का कय उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम की निकटतम हैचरियों से माह सितम्बर, 2013 हेतु निर्धारित दर रू0 115/- प्रति हजार मत्स्य बीज तथा रू0 20/- प्रति हजार यातायात व्यय के अनुसार कय करके उपयुक्त स्थल का चुनाव कर सुनिश्चित करावें। यदि उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम की हैचरियों पर मत्स्य अंगुलिकायें उपलब्ध न हो तो उस स्थिति में उक्त दर की सीमा अन्तर्गत मत्स्य अंगुलिकाओं का कय वित्तीय नियमों का पालन करते हुए निजी क्षेत्र की हैचरियों से करके संचय सुनिश्चित किया जा सकता है।

उक्त नदियों में प्रदूषण के दृष्टिगत मत्स्य अंगुलिका संचय हेतु नदी के ऐसे भाग का चयन किया जायेगा जहाँ पानी स्वच्छ हो एवं मत्स्य आखेट की गतिविधियाँ न्यूनतम हो ताकि संचित मत्स्य अंगुलिकाओं की जीविता दर अच्छा हो सके। स्थल चयन एवं अंगुलिका संचय की कार्यवाही जनपद स्तर पर निम्नवत् गठित समिति द्वारा किया जायेगा।

1- संबंधित मण्डलीय उप निदेशक मत्स्य
2- जनपदीय मुख्य विकास अधिकारी द्वारा नामित प्रतिनिधि (मत्स्य विभाग से भिन्न)
3- जनपदीय सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य पालक विकास अभिकरण

अंगुलिका संचय हेतु गठित उपर्युक्त समिति का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे नदियों में अंगुलिका संचय अपनी उपस्थिति एवं देखरेख में निष्पादित करावें जिससे भारत सरकार द्वारा संचालित इस योजना के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

अतः अनुरोध है कि प्रदेश में रिवर रैचिंग योजना के कियान्वयन हेतु रू0 2.00 लाख (रू0 केन्द्रांश 1.50 लाख तथा राज्यांश 0.50 लाख) की वित्तीय स्वीकृति निदेशक मत्स्य के पदनाम से निर्गत करने की कृपा की जाय।

उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2013-14 के अनुदान संख्या-17 के निम्न लेखा शीर्षक के नामे डाला जायेगा।

2405- मछली पालन आयोजनागत
101- अन्तर्देशीय मछली पालन
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें
0101- नदियों में मत्स्य अंगुलिका संचय (रिवर रैचिंग) (के0-75 रा0-25)
27- सब्सिडी

संलग्नक ! यथोपरि

भवदीय

(डा0 सरोज कुमार)
निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ